

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>केसुराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) सू.अ.अ. अपील संख्या 152/2018</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>02.01.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी केसुराम पुत्र पूनाराम विश्नोई निवासी मोटाणिया नगर, तहसील बापिणी जिला जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.10.18 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत छितर बेरा, पंचायत समिति फलोदी के सरपंच केलावती देवी पत्नी जयप्रकाश सारण जो निर्वाचन अधिकारी के समय पेश किये गये सम्पूर्ण पत्रावली के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	<p>2</p>